

इंदु निसान ऑक्सो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य

11 दिसम्बर, 2007

(डॉ- अरिजीत पसायत और आफताब आलम, जे.जे.)

सीमाशुल्क अधिनियम 1962- एस129ई- पूर्व-निक्षेप पर रोकछूट- असम्यक कठिनाई" पहलू पर विचार- सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अधिरोपित 10 करोड़ रुपये का जुर्माना - अपील - अपील की सुनवाई के लिए पुरो भाव्य शर्त के रूप में 2 करोड़ रुपये की पूर्व-निक्षेप का निर्देश देने वाला अधिकरण वित्तीय बीमारी के अधार पर पूर्व निक्षेप से छूट के लिए निर्धारिती की याचिका - स्थायित्व - माना गया: मान्य नहीं - वित्तीय- असम्यक कठिनाई के बारे में मात्र निर्धारण दावा पर्याप्त नहीं है।

शब्द और वाक्यांश - "असम्यक" और " असम्यक कठिनाई" - अभिप्राय - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ई के संदर्भ में।

विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अधीन निर्धारिती-कंपनी द्वारा आयातित उत्पाद के वर्गीकरण और उसके

द्वारा दावा किए गए परिणामिक लाभों से संबंधित एक विवाद उत्पन्न हुआ। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने इसके वर्गीकरण के बारे में निर्धारिती के रुख को स्वीकार नहीं किया। इसके तत्पश्चात् सीमा शुल्क आयुक्त ने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। निर्धारिती ने CESTAT के समक्ष अपील दायर करके जुर्माना लगाने को चुनौती दी, जिसने अपील की सुनवाई के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। निर्धारिती ने इसके विरुद्ध रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया।

तत्काल अपील में, निर्धारिती कंपनी ने तर्क दिया कि वह आर्थिक रूप से बीमार थी और इसलिए, पूर्व-निक्षेप पर जोर देने से वह अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगी।

अपील का निपटारा करते हुए कोर्ट का अभिनिर्धारण

1.1. अपील के निपटान तक रोक लगाने से संबंधित मामलों में, हालांकि विवेकाधिकार उपलब्ध है, उसका, प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। (पैरा 10)(179-सी)

1.2. प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर ही संरक्षण का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यदि सरसरी तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत हो कि उठाई गई मांग टिकने लायक नहीं है तो निर्धारिती

से मांग का पूरा या वास्तविक हिस्सा चुकाने की मांग करना अवांछनीय होगा। रोक की याचिकाओं का निपटारा आदेश द्वारा निर्धारिती से अपेक्षित मांग का पूरा या आंशिक हिस्सा जमा कराने के परिणामस्वरूप परिणामों को ध्यान में रखे बिना रोजमर्रा मामलों की तरह नहीं किया जाना चाहिए, अपेक्षा करने वाला आदेश ऐसे मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं हो सकता है और इसमें शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों का संकेत दिया है जो फोरम/प्राधिकरण को ऐसा आदेश पारित करने का लाइसेंस नहीं देता है जिसे निष्पक्षता, वैधता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर कायम नहीं रखा जा सकता है। जहां अंतरिम राहत से इनकार करने से लोक रिष्टी हो सकती है, गंभीर अपूरणीय निजी क्षति लग सकती है या लोक प्रशासन की निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास हिल सकता है, वहां अंतरिम राहत दी जा सकती है। (पैरा 12) (179 ई-जी)

मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय आबकारी आयुक्त, मुंबई (2003) 155 ईएलटी 13 (एस.सी.) सिलीगुडी नगरपालिका और अन्य बनाम अमलेंदु दास और अन्य, एआईआर (1984) एससी 653, मैसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड बनाम एस. सैमुअल और अन्य, एआईआर (1985) एससी 61 और केंद्रीय आबकारी के सहायक कलक्टर

बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड, एआईआर (1985) एससी 330 पर निर्भरता।

2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई में प्रयुक्त दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं "ऐसे व्यक्ति को असम्यक कठिनाई" और "राजस्व के हितों की रक्षा करना"। इसलिए, आवेदन से निपटते समय विचार की दोनों आवश्यकताओं यानी अनुचित कठिनाई पहलू पर विचार और राजस्व के हित की रक्षा के लिए शर्तों को लागू करना ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 14) (180-ई)

3. असम्यक कठिनाई अधिव्यक्त करने के लिए आवेदक के विशेष ज्ञान का मामला है और उसे ही इसे स्थापित करना होगा। अनुचित कठिनाई के बारे में मात्र दावा पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय परिस्थितियों में अभिव्यक्ति "असम्यक कठिनाई" सामान्यतः आर्थिक कठिनाई से संबंधित है। "असम्यक" का अर्थ कुछ ऐसा है जो दावेदार के आचरण के अनुरूप नहीं है, या उससे बहुत अधिक असंगत है। असम्यक कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब परिस्थितियों के कारण कठिनाई आवश्यक नहीं होती। किसी कठिनाई को "असम्यक" होने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि आवश्यकता को पूरा करने का विशेष बोझ, आवश्यकता की प्रकृति के अनुपात से बाहर है, और आवेदक को इसके अनुपालन से जो लाभ प्राप्त होगा। (पैरा 15, 16) (180 एफ-एच; 181-ए)

एस वासुदेव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एआईआर (1994) एससी सी 923 और मैसर्स बेनारा वाल्व्स लिमिटेड और अन्य बनाम आयुक्त, केंद्रीय आबकारी और अन्य, (2006) 12 स्कैल 303 - पर निर्भरता

4. जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, दो करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश देने वाले आदेश में कोई खामी नहीं है। अपीलकर्ता को CESTAT द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। (पैरा 18)(181-सी)

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 2007 का 5795

क्रमशः विशेष सिविल आवेदन संख्या 5540/2006 और सिविल विविध पुनर्वा लोकन आवेदन संख्या 2772/2006 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 10.07.2006 और 6.2.2007 से।

अपीलार्थी के लिए श्याम दीवान, एस. उदय कुमार सागर, बीना माधवन और हेमल के. सेठ (मैसर्स लॉयर्स निट एंड कंपनी के लिए)।

प्रत्यर्थी की ओर से विकास सिंह, एएसजी एल.एन. शुक्ला, रश्मी मल्होत्रा, आर.सी. काठिया और बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को दी गई है।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष सीमा शुल्क, आबकारी और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (संक्षेप में सीईएसटीएटी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.1.2006 को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपील पर विचार करने के लिए एक पुरोभाव्य शर्त के रूप में दो करोड़ रुपये जमा करने का निदेश दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 10,00,00,000/- रुपये थी। विवाद अपीलार्थी द्वारा आयातित उत्पाद के वर्गीकरण और विदेश महानिदेशक द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत उसके द्वारा दावा किए गए परिणामिक फायदों से संबंधित है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने इसके वर्गीकरण के बारे में अपीलार्थी के रुख को स्वीकार नहीं किया। जुर्माना अधिरोपण को CESTAT के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इसके साथ सीमा शुल्क आयुक्त (सक्षिप्त में 'आयुक्त') द्वारा लगाए गए जुर्माने से छूट की मांग करने वाला एक आवेदन संलग्न था।

4. पक्षों को सुनने के बाद, CESTAT ने अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया:

"आवेदकों के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि इसके सहायक प्रबंधक द्वारा लिखा गया मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक पत्र, इन कार्यवाही में आयुक्त के रिकॉर्ड पर था और रिमांड के निर्देशों के बावजूद इस पर विचार नहीं किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि डीजीएफटी दिनांक 17.12.1997 के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, भले ही रिटर्न स्ट्रीम के उपयोग को दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र विभाग के समक्ष समानांतर कार्यवाही में रिकॉर्ड पर थे। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यदि इन प्रमाणपत्रों पर विचार किया गया था, तो उन्हें अपने पत्र दिनांक 17.12.1997 के माध्यम से रिटर्न स्ट्रीम के पुनर्विक्रय की शर्त में डीजीएफटी की छूट का लाभ दिया जाना चाहिए और वे किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं थे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदक कंपनी की बैलेंस शीट के माध्यम से हमें पता चलता है कि 31.3.2005 को, उन्हें 12.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और पिछले वर्ष में उक्त घाटा 17.74 करोड़ रुपये था। उनका कहना है कि वे एक बीआईएफआर कंपनी हैं और इस अपील पर सुनवाई के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 ई के अधीन पूर्व-निक्षेप आवश्यकता की पूर्ण छूट की मांग करते हैं।

दूसरी ओर, विद्वान एसडीआर हमें डीजीएफटी के दिनांक 17.12.1997 के पत्र के माध्यम से ले जाता है और प्रस्तुत करता है कि यह पत्र छूट

देता है और केवल नेफथा के आयात और वापसी पर लागू होता है। उनका कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वकील के पत्र पर भरोसा किया गया है, जिसके बारे में वह शिकायत कर रहे हैं, इसमें कहा गया है कि हेप्टीन को नेफथा के रूप में नहीं जाना और समझा जाता है। रिटर्न स्ट्रीम की खपत के प्रमाण पत्र भी नेफथा के बजाय नोनीन और हेप्टीन के उपयोग और रिटर्न स्ट्रीम को प्रमाणित कर रहे हैं।

इस मामले में प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि डीजीएफटी द्वारा शर्त में दी गई छूट इस मामले में संबद्ध आयात पर लागू नहीं है। उठाए गए अन्य मुद्दों पर नियमित सुनवाई में विस्तार से चर्चा करनी होगी। इस प्रथम दृष्टया चरण में योग्यताओं और वित्तीय स्थिति के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह दूसरा दौर है, हम इस मामले पर आवेदकों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ई के तहत लागू होने वाली पूर्व- निक्षेप आवश्यकता की शर्तों के बारे में निर्देशित करने के लिए उपयुक्त मानेंगे। इसलिए, हम आवेदकों को 2,00,00,000/- रुपये (केवल दो करोड़ रुपये) जमा करने और 12 (बारह) सप्ताह के भीतर अर्थात् 17.4.2006 को अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश देंगे। ऐसी अनुपालन की सूचना मिलने पर, मामले को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। जमा करने में विफलता और धारा 129 ई की आवश्यकता को पूरा करना अपील को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के



खारिज करने की मांग करता है”

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जुर्माना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 112 (ए) के अधीन लगाया गया है। आयुक्त द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि माल के संबंध में निर्धारिती को निकासी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि, जो सामान जब्त किया जा सकता था उसकी कीमत 66.57 करोड़ रुपये के आसपास थी। चूंकि उन्हें फ़ैक्टरी परिसर में उपयोग के लिए अपीलकर्ता को जारी किया गया था, इसलिए जब्त करने का निर्देश देना संभव नहीं था, आयुक्त ने 10,00,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

6. मामला पहले अधिकरण के समक्ष था और उस स्तर पर मामले को नए न्यायनिर्णय करने के लिए भेज दिया गया था। आदेश दिनांक 11.4.1998 द्वारा आयुक्त ने एक नया आदेश पारित किया और 10,00,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाने की पुनः पुष्टि की गई।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की प्रामाणिकता बहुत बड़ी है। कंपनी एक बीमार कंपनी बन गई है और इसलिए, एक हिस्से के भी पूर्व निक्षेप पर जोर देना, जो इस मामले में दो करोड़ रुपये की बड़ी राशि है, अपीलार्थी को अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा। यह बताया गया है कि वित्तीय विवरणों से यह स्पष्ट है

कि अपीलार्थी को भारी नुकसान हुआ है। आकलन वर्ष 31 मार्च, 2004, 31 मार्च, 2005 और 31 मार्च, 2006 के लिए घाटे के आंकड़े क्रमशः 17.74 करोड़ रुपये, 12.20 करोड़ रुपये और 8.28 करोड़ रुपये हैं। यहां बताया गया है कि वित्तीय स्थिति निराशाजनक हो जाना और पूर्व-निक्षेप पर जोर देना कंपनी की वित्तीय बीमारी को नजरअंदाज करना है। विचाराधीन आयात 1992 से 1997 की अवधि के दौरान किए गए थे। बहुत भ्रम उत्पन्न हो गया था और उसी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। डीजीएफटी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (संक्षेप में 'आईओसी') के कुछ संचारों का संदर्भ दिया गया है।

8. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है और भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वित्तीय कठिनाई है, लेकिन यह पूर्व निक्षेप से छूट देने का आधार नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में सुविधा का संतुलन अपीलकर्ता के पक्ष में नहीं है।

9. बीमार उद्योग के संबंध में हम प्रथमतः रोक/पूर्व निक्षेप से छूट के प्रश्न से संबंधित मुद्दे से निपटेंगे/ मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय आबकारी आयुक्त, मुंबई (2003 (155) ईएलटी 13 (एस.सी.) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप से माना कि,

”अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री राणा मुखर्जी का कहना है कि

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'बीमार उद्योग अधिनियम') की धारा 22 के मद्देनजर, अपीलार्थी को राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है, क्योंकि उक्त प्रावधान के अधीन अपीलार्थी को सुरक्षा उपलब्ध है। हमें डर है, हम एक से अधिक कारणों से विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे पहले, यह पहलू चुनौती के तहत आदेश का विषय नहीं था और दूसरी बात, बिमार उद्योग अधिनियम की धारा 22 उन कार्यवाहियों के संबंध में राहत प्रदान करती है जो (ए) औद्योगिक कंपनी के समापन से संबंधित है; (बी) औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन संकट या उसके समान, (सी) उसके संबंध में एक रिसीवर की नियुक्ति, और (डी) धन की वसूली के लिए या किसी सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए मुकदमे के संबंध में कार्यवाही करना औद्योगिक कंपनी के खिलाफ या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी गारंटी के लिए केंद्रीय आबकारी कर अधिनियम, 1944 की धारा 35 एफ के तहत कवर किए गए पूर्व-निक्षेप का भुगतान बिमार उद्योग अधिनियम ए की धारा 22 में उपर्युक्त प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है।"

10. कई मामलों में संबंधित मंचों के समक्ष मामलों के निपटान तक रोक लगाने से संबंधित सिद्धांतों पर विचार किया गया है। यह ध्यान दिया

जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में हालांकि विवेकाधिकार उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए।

11. लागू सिद्धांतों को सिलीगुड़ी नगर पालिका और अन्य बनाम अमलेंदु दास और अन्य (एआईआर 1984 एससी डी 653) में संक्षेप में निर्धारित किया गया है। मेसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस सैमुअल और अन्य, (एआईआर 1985 एससी 61) और सेंट्रल एक्साइज के सहायक कलेक्टर बनाम इनलप इंडिया लिमिटेड (एआईआर 1985 एससी 330)।

12. यह सच है कि केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर सुरक्षा का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु अगर सरसरी तौर पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उठाई गई मांग टिकने लायक नहीं है, तो करदाता से मांग का पूरा या वास्तविक हिस्सा चुकाने की मांग करना अवांछनीय होगा। रोक के लिए याचिकाओं का निपटारा किसी नियमित मामले में नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि निर्धारिती को मांग का पूरा या कुछ हिस्सा जमा करने के आदेश से होने वाले परिणाम क्या होंगे। ऐसे मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं हो सकता है और इसमें सम्मिलित तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों का संकेत दिया

है जो फोरम/प्राधिकरण को एक आदेश पारित करने का लाईसेंस नहीं देता है जिसे ईमानदारी, कानूनी वैधता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर कायम नहीं रखा जा सकता है। जहां अंतरिम राहत से इनकार करने से लोक रिष्टि हो सकती है, गंभीर अपूरणीय निजी क्षति पहुंच सकती है या सार्वजनिक प्रशासन की निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास हिल सकता है, वहां अंतरिम राहत दी जा सकती है।

13. अधिनियम की धारा 129-ई इस प्रकार है,

"129 ई. शुल्क और ब्याज की मांग या अधिरोपित जुर्माने का निक्षेप, लंबित अपील -

जहां इस अध्याय के अधीन किसी भी अपील में, जिस निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की गई है वह उन वस्तुओं के संबंध में मांगे गए किसी शुल्क और ब्याज से संबंधित है। जो सीमा शुल्क अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं है। सीमा शुल्क अधिकारियों या इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी भी जुर्माने के मामले में, ऐसे निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने का इच्छुक व्यक्ति, अपील लंबित रहने तक, उचित अधिकारी के पास मांगे गए शुल्क और ब्याज या लगाए गए जुर्माने को निक्षेपित करेगा।

परन्तु किसी विशिष्ट मामले में, आयुक्त (अपील) या अपीलीय

अधिकरण की राय हो कि शुल्क और ब्याज की मांग या अधिरोपित जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को असम्यक कठिनाई होगी, आयुक्त (अपील) या, यथास्थिति, अपीलीय अधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी जमा राशि से छूट दे सकेगा, जिसे वह अधिरोपित करना उचित समझे ताकि राजस्व के हितों की रक्षा हो सके।"

14. प्रावधानों में प्रयुक्त दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं "ऐसे व्यक्ति को असम्यक कठिनाई" और "राजस्व के हितों की रक्षा करना। इसलिए, आवेदन से निपटते समय विचार की दोनों आवश्यकताओं यानी असम्यक कठिनाई पहलू पर विचार और राजस्व के हितों की रक्षा के लिए शर्तों को लागू करना ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 129-ई में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। एक है असम्यक कठिनाई। यह छूट के लिए आवेदक की विशेष जानकारी का मामला है और उसे ही इसे स्थापित करना होगा। असम्यक कठिनाई के बारे में मात्र दावा पर्याप्त नहीं होगा। यह इस न्यायालय द्वारा एस. वासुदेव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (एआईआर 1994 एससी 923) में नोट किया गया था कि भारतीय परिस्थितियों में अभिव्यक्ति "असम्यक कठिनाई" सामान्यतः आर्थिक कठिनाई से संबंधित है। "असम्यक" का अर्थ है कुछ ऐसा जो दावेदार के आचरण के योग्य नहीं है, या उसके लिए बहुत अधिक असंगत है। असम्यक कठिनाई तब होती है

जब परिस्थितियों के कारण कठिनाई आवश्यक नहीं होती है।

16. किसी कठिनाई को 'असम्यक' होने के लिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि विशेष आवश्यकता का पालन करने या निष्पादित करने का भार स्वयं आवश्यकता की प्रकृति और आवेदक को इसके अनुपालन से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात से बाहर है।

17. उपरोक्त स्थिति एम. के. बेनारा वाल्व्स लिमिटेड और अन्य बनाम आयुक्त, केंद्रीय आबकारी और अन्य (2006 (12) स्केल 303) में उजागर की गई है। यद्यपि उक्त मामला सीमा शुल्क आबकारी अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'आबकारी अधिनियम') के अधीन विवाद से संबंधित है, लेकिन मापदण्ड समान हैं।

18. जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, हमें दो करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश वाले आदेश में कोई खामी नहीं मिली। अपीलार्थी को CESTAT द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। यदि यह उपरोक्त समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो CESTAT के समक्ष अपील खारिज कर दी जाएगी।

19. अपील का निपटारा लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार किया जाता है।

बी.बी.बी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुप्रिया जोशी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।